न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 92/19 तारीख रजूः– 06.08.2019

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. मुरारीलाल पुत्र जंगली जाति मीना निवासी नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. जयराम पुत्र जंगली
2. गोकल पुत्र सांवलिया

समस्त जाति मीना निवासीयान नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम।

3. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादी गण

दावा वावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः– श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट (वादी)

श्री हरकेश मीना एडवोकेट (प्रतिवादी न0 2)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

निर्णय **दिनांकः– 18.09.19**

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नागल शेरपुर तहसील टोडाभीम मे स्थित भूमि ख0न0 254/0.29 है0 मे वादी बहिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है जिसका साबिक ख0न0 215 है। भूमि ख0न0 239/2784/0.05, 362/0.28, 363/0.28 मे वादी व प्रतिवादी न0 1 सयुक्त रूप से बहिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी न0 2 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है जिसका साबिक ख0न0 325 मि.न व 214/10 है उक्त आराजीयात के साबिक मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिताजी के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। जंगली के फौत होने के पश्चात राजस्व कर्मचारीगण ने भूल से बिना जॉच किए वादी का वास्तविक नाम मुरारीलाल पुत्र जंगली दर्ज नही कर गाव मे बोलता नाम मोहनी पुत्र जंगली दर्ज कर दिया। मोहनी पुत्र जंगली नाम का गॉव मे कोई दीगर व्यक्ति नही है। जिसे दुरूस्त किया जाकर खातेदारी की भूमि मे मोहनी पुत्र जंगली के स्थान पर मुरारीलाल पुत्र जंगली दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 व 3बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी न0 2 स्वंय उपस्थित हुआ एवं श्री हरकेश मीना एडवोकेट ने इनकी ओर से वकालतनामा पेश किया। जबाब दावा प्रस्तुत किया कि वादी का दावा स्वीकार किया जाकर दावा वादी डिक्री फरमा दिया जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

वादी की ओर से स्वंय का शपथ पत्र एवं ग्राम नांगल शेरपुर की नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2041–44 प्रदर्श 3 व 4, मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 5, आधार कार्ड प्रदर्श 6, बैक ऑफ बडौदा बैक पासबुक प्रदर्श 7, राशन कार्ड की प्रति प्रदर्श 8, प्रस्तुत की है, तथा अपने बयान दर्ज करवाए है। तथा प्रतिवादी न0 2 की ओर से शपथ पत्र पेश किए और बयान दर्ज करवाए कि वादी का नाम मोहनी पुत्र जंगली नही होकर सही नाम मुरारीलाल पुत्र जंगली है।

वादी वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि राजस्व कर्मचारीयो ने विरासत का नामांतकरण दर्ज करते समय बोलता नाम मोहनी दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम मुरारीलाल है समस्त दस्तावेजो मे मुरारीलाल नाम दर्ज है। मोहनी और मुरारीलाल अलग–अलग व्यक्ति नही होकर एक ही व्यक्ति है, अतः राजस्व रिकार्ड मे मोहनी पुत्र जंगली के स्थान पर मुरारीलाल पुत्र जंगली दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

वादी वकील की बहस सुनी गई बहस मे कथन किया कि विरासत का नामांतकरण खोलते समय बोलता नाम मोहनी दर्ज कर दिया जबकि सही नाम मुरारीलाल है। मोहनी और मुरारीलाल अलग–अलग व्यक्ति नही होकर एक ही व्यक्ति है। ग्राम पंचायत नागलशेरपुर के राशनकार्ड, बैक पासबुक, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड मे मुरारीलाल नाम दर्ज है। इसलिए वादी का नाम मोहनी के स्थान पर मुरारीलाल दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल शपथ पत्रो एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी न0 2 ने सही नाम मुरारीलाल होने संबधी शपथ पत्र पेश किया है व बयानो मे भी कथन किया है। ग्राम पंचायत नागल शेरपुर द्वारा राशनकार्ड, आधार कार्ड, बैक पासबुक, मे मुरारीलाल पुत्र जंगली के नाम से जारी किया हुआ है। इस प्रकार वादी का दावा डिक्री योग्य उचित पाता हूँ।

अत ग्रम नागल शेरपुर स्थित आराजी ख0न0 254 / 0.29 है0, 239 / 2784 / 0.05, 362 / 0.28, 363 / 0.28 की खातेदारी मे मोहनी पुत्र जंगली के स्थान पर मुरारीलाल पुत्र जंगली नाम दर्ज करने के आदेश दिए जाते है तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांकः–18.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया

18/9/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली